विषय-सूची			
क्र. सं.	**विषय**	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं.**
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
7.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
8.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
9.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.4.1	8
10.	सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.4.2	8
11.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	9
12.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.5.1	11
13.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.5.2	13
14.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.5.3	14
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.6	16
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.6.1	16
17.	पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.6.2	17
18.	निष्कर्ष	1.7	18
19.	संस्तुतियाँ	1.8	18
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	19
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	19
22.	राज्य के संसाधन	2.3	21
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	22
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	24
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	24
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	25
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	27

30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	29
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	30
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	30
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	32
34.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.3	33
35.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	33
36.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.5	34
37.	संसाधनों का उपयोग	2.6	35
38.	राजस्व व्यय	2.6.1	38
39.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	39
40.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	40
41.	अन्य वचनबद्ध व्यय	2.6.2.1	42
42.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	43
43.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	44
44.	पेंशन	2.6.2.4	44
45.	सब्सिडी	2.6.2.5	45
46.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.6	46
47.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	48
48.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	49
49.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	49
50.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	55
51.	लोक लेखा	2.8	57
52.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	57
53.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	59
54.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	60
55.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	60
56.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.3	61
57.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.4	62
58.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	63
59.	ऋण प्रबंधन	2.9	63
60.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	63
61.	ऋण संरचनाः घटक	2.9.2	64
62.	वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया ऋण का घटक-वार विवरण	2.9.3	65

63.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	65
64.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	66
65.	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	68
66.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	71
67.	ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति	2.9.8	71
68.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.9	73
69.	प्रतिभूति की स्थिति - प्रासंगिक दायित्व	2.10	73
70.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	75
71.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	75
72.	निष्कर्ष	2.12	78
73.	संस्तुतियाँ	2.13	79
	अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन		
74.	बजट प्रक्रिया	3.1	81
75.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	82
76.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश	3.2.1	83
77.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.2	83
78.	विनियोग लेखे	3.3	84
79.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	84
80.	विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना	3.3.1.1	84
81.	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः	3.3.2	85
82.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	86
83.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	89
84.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	89
85.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	94
86.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 *प्रतिशत* से कम हुआ	3.5.1	96
87.	₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	98
88.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनयोगों की संख्या के वितरण	3.5.3	98
89.	वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	99
90.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	99
91.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	99
92.	2021-22 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	100
93.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	100
94.	कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	101

95.	विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	101
96.	पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायक अनुदान	3.7	102
97.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	104
98.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	106
99.	विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	107
100.	व्यय की तीव्रता	3.11	107
101.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.12	109
102.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.12.1	109
103.	निष्कर्ष	3.13	119
104.	संस्तुतियाँ	3.14	119
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
105.	राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष	4.1	121
106.	नियामक	4.1.1	121
107.	विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना	4.2	122
108.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	122
109.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.4	123
110.	स्थानीय निधियों में जमा	4.5	125
111.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.6	125
112.	अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	127
113.	सार आकस्मिक बिल	4.7	127
114.	स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.7.1	128
115.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.8	129
116.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.8.1	131
117.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	4.9	132
118.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.10	134
119.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.11	137
120.	नकद शेष राशि का मिलान	4.12	139
121.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	139
122.	स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.14	141
123.	निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया	4.14.1	141
124.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.15	142
125.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.16	142
126.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.17	142

127.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	143
128.	निष्कर्ष	4.19	143
129.	संस्तुतियाँ	4.20	143
अध्याय-5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका			
130.	प्रस्तावना	5.1	145
131.	सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों तथा सांविधिक निगमों की परिभाषा	5.1.1	145
132.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.1.2	145
133.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति तथा अध्याय में उनका कार्य-क्षेत्र	5.1.3	146
134.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.2	147
135.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.2.1	148
136.	उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से समाधान	5.2.2	149
137.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान	5.2.3	150
138.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण	5.2.4	151
139.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा प्रस्तुत करना	5.3	151
140.	समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.3.1	151
141.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा	5.3.2	152
142.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	5.3.2.1	154
143.	निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.3.2.2	154
144.	निष्कर्ष	5.4	154
145.	अनुशंसा	5.5	155

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	157
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	158
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	161
परिशिष्ट-5.1	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. (जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद के अपने लेखे जमा किए) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण	163
परिशिष्ट-5.2	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण (तीन साल या उससे अधिक के बकाया लेखे या निष्क्रिय थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए) को दर्शाने वाला विवरण	165
परिशिष्ट-5.3	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. को बजटीय सहायता दर्शाने वाला विवरण	167
परिशिष्ट-5.4	30 सितंबर 2022 तक इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति के शेष के संबंध में उत्तराखंड सरकार के वित्त लेखों और रा. सा. क्षे. उ. के लेखों के बीच अंतर को दिखाने वाला विवरण	168
परिशिष्ट-5.5	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. के निवल मूल्य में कमी दर्शाने वाला विवरण	170
परिशिष्ट-5.6	जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान सक्रिय रा. सा. क्षे. उ. में राज्य सरकार के निवेश (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति को दिखाने वाला विवरण	171
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	173